

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 25 / 2020

1. कुंवर सिंह पुत्र चन्दर
2. बसन्त कुमार पुत्र खैम सिंह
3. कविता सैनी पुत्री चन्दर
4. रानी सैनी पुत्री रूप सिंह
5. सीमा सैनी पत्नी निक्की
6. रंजीत कुमार पुत्र खिल्लू सिंह
7. प्रमोद कुमार सैनी पुत्र शंकर

निवासीयान – वार्ड संख्या 5 कस्बा कुम्हेर भरतपुर (राज०), जातियान सैनी।

..... अपीलान्टस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) कुम्हेर

..... रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
कुम्हेर।

निर्णय

दिनांक : 27.11.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), कुम्हेर जिला भरतपुर दिनांक के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड नं० 5 कस्बा कुम्हेर में निवास करते हैं। अपीलान्ट्स के माता पिता का नाम वार्ड सं० 5 में दर्ज है परन्तु अपीलान्ट्स का नाम वार्ड सं० 2 में दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट्स अपने माता पिता के साथ वार्ड सं० 5 कस्बा कुम्हेर में ही रहते हैं। इस बावत अपीलान्ट्स द्वारा प्रपत्र सं० 3 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम), कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किये गए थे लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट्स



द्वारा अपना नाम वार्ड सं० 2 से वार्ड सं० 5 कस्बा कुम्हेर में शिफ्ट किये किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपने नाम वार्ड संख्या 02 से वार्ड संख्या 05 कस्बा कुम्हेर में शिफ्ट कराने हेतु अपील अपवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट्स निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), कुम्हेर के किस आदेश के विरुद्ध अपील लेकर आए हैं, का कोई उल्लेख उनकी अपील में वर्णित नहीं है, और न उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), कुम्हेर के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। अपील केवल किसी तहत न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर